



कोई वैध दरतावेज पेश किया गया और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा दयिकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जवत्शुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

4. विभागीय पैराकार रसद को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 24.10.2024 को भंलीभांती अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
5. अप्रार्थी ने जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दरतावेज पेश नहीं किये। दौराने जांच मौके पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर्स आई.ओ.सी.एल. मय एल.पी.जी. 6.800 ग्राम पाया गया। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर्स से अवैध रूप से ग्राहको के लिये नमकीन, मिठाई, चाय नाश्ता बनाकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एल.पी.जी. को राजसात किया जाना वाजिब समझते हैं।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. मय 6.800 ग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
7. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 05.11.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये हैं। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष जमा कराना सुनिश्चित करें।
8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैंसल शमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



आज दिनांक 10.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला कलेक्टर  
जयपुर